AGRASEN CIVIL SERVICES ACADEMY

Where tradition meets innovation

ACSA

22 से 31 जुलाई 2023

साप्ताहिक करेंट अफेयर्स

For

UPSC / RPSC EXAMS

and All Other Competitive

- ओडिशा की 'ब्याज सब्सिडी-अनुदान' योजना
- राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म आधारित जीआईजी श्रमिक (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023
- सूरत डायमंड बोर्स
- ईएसजी थीम के तहत सेबी की छह नई म्यूचुअल फंड रणनीतियाँ
- वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
- जेजेएम डिजिटल अकादमी
- मूल्य स्थिरीकरण कोष

A UNIT OF
AGRAWAL PG COLLEGE
Affiliated to University of Rajasthan | Managed by Shri Agrawal Shiksha Samiti
(A Co-Educational College)

+91-8824395504, +91-8290664069
www.acsajaipur.com
Agrasen Katla, Maharaja Agrasen Marg,
Agra Road, Jaipur - 302003

करेंट अफेयर्स 22 से 31 जुलाई 2023

संक्षिप्त विवरण:-

- ओडिशा की 'ब्याज सब्सिडी-अनुदान' योजना
- राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म आधारित जीआईजी श्रमिक (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023
- सूरत डायमंड बोर्स
- एडमिरल लिसा फ्रैंचेटी
- ईएसजी थीम के तहत सेबी की छह नई म्यूचुअल फंड रणनीतियाँ
- वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
- मूल्य स्थिरीकरण कोष
- मारचंद कौन हैं ?
- जेजेएम डिजिटल अकादमी

ओडिशा की 'ब्याज सब्सिडी-अनुदान' योजना

ओडिशा मंत्रिमंडल ने हाल ही में रुपये के प्रावधान को मंजूरी देकर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया । 'ब्याज सब्सिडी-अनुदान' योजना के कार्यान्वयन के लिए 5700 करोड़ रुपये। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बहुत जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करना, फसल ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना और उनकी भलाई को बढ़ावा देना है।

ब्याज सब्सिडी-अनुदान: किसानों को सशक्त बनाना

'ब्याज सब्सिडी-अनुदान' योजना ओडिशा सरकार द्वारा किसानों को किफायती और ब्याज मुक्त फसल ऋण तक पहुंच प्रदान करके समर्थन देने के लिए की गई एक अभूतपूर्व पहल है। इस योजना के तहत, किसान रुपये तक के ब्याज मुक्त फसल ऋण का लाभ उठा सकेंगे । 1 लाख.

सहकारी बैंकों के लिए प्रोत्साहन

सरकार द्वारा निर्धारित फसल ऋण जारी करने के लिए सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) को मुआवजा देने के लिए, ओडिशा मंत्रिमंडल ने इन वित्तीय संस्थानों को ब्याज सब्सिडी या सबवेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया। इस कदम का उद्देश्य सहकारी बैंकों को किसानों को फसल ऋण वितरित करने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

उच्च ऋण राशि के लिए वृद्धिशील ब्याज

रुपये से अधिक के फसल ऋण के लिए . 1 लाख से लेकर रु. तक . 3 लाख तक, 2% की मामूली ब्याज दर ली जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ कृषि में बड़े निवेश को प्रोत्साहित करने के बीच संतुलन बनाना है।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान

ओडिशा सरकार मानती है कि राज्य में अधिकांश किसान लघु और सीमांत श्रेणी के हैं, जिनके पास कृषि कार्यों के लिए सीमित वित्तीय संसाधन हैं । परेशानी मुक्त फसल ऋण प्रदान करके, सरकार इन किसानों को सशक्त बनाना चाहती है और उन्हें अपनी कृषि गतिविधियों में निवेश करने में सक्षम बनाना चाहती है।

कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना

ओडिशा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, और कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि समग्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 'ब्याज सब्सिडी-अनुदान' योजना के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य कृषि कार्यों के लिए धन के प्रवाह को बढ़ाना है, जिससे किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने और उच्च पैदावार प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।

वनवासियों पर परिवर्तनकारी प्रभाव

किसानों को समर्थन देने के अलावा, ओडिशा कैबिनेट ने वाना के लिए भवनों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी सुरक्षा समितियाँ (वीएसएस), जो वन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य भर में लगभग 10,000 इमारतों की योजना के साथ, वनवासियों के पास वन संरक्षण के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक सामान्य सुविधा केंद्र होगा।

राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म आधारित जीआईजी श्रमिक (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023

एक ऐतिहासिक कदम में, राजस्थान राज्य ने राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म आधारित जीआईजी वर्कर्स बिल, 2023 पेश करके गिग श्रमिकों के कल्याण की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस प्रगतिशील कानून का उद्देश्य गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और एक व्यापक पंजीकरण प्रणाली स्थापित करना है। 'राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड' के माध्यम से।

इस विधेयक के तहत, गिग श्रमिकों को एक विशिष्ट पहचान, एक समान आईडी प्राप्त होगी जो कई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाएगी। यह पहचान गिग श्रमिकों को व्यापक और लक्षित दोनों कल्याणकारी पहलों का लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाएगी, जिससे उन्हें जरूरत के समय आवश्यक सुरक्षा जाल उपलब्ध होंगे।

गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड की स्थापना

इस कानून का एक महत्वपूर्ण घटक 'राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड' की स्थापना है। यह बोर्ड एक केंद्रीय पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में काम करेगा जहां राज्य भर के गिग कर्मचारी सभी एग्रीगेटर्स के साथ अपना पंजीकरण कराएंगे। बोर्ड कल्याण शुल्क कटौती की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, इसे निर्बाध कार्यान्वयन के लिए एग्रीगेटर ऐप के साथ एकीकृत करेगा।

गैर-अनुपालन के लिए दंड

विधेयक अपने प्रावधानों के साथ एग्रीगेटर अनुपालन के महत्व पर जोर देता है। अनुपालन न करने की स्थिति में एग्रीगेटर्स पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। पहले अपराध के लिए जुर्माने की राशि ₹5 लाख और बाद के अपराधों के लिए ₹50 लाख है, जिससे एग्रीगेटर्स को गिग श्रमिकों के कल्याण को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

भारत में गिग इकोनॉमी की संभावनाएं

अनुमानों के अनुसार, भारत में गिग अर्थव्यवस्था 2030 तक अनुमानित 23.5 मिलियन गिग श्रमिकों के साथ पर्याप्त वृद्धि देखने के लिए तैयार है। इससे सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ मिले और वे अपने काम में सुरक्षित रहें। पर्यावरण।

प्रतिनिधित्व और निर्णय लेना

सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के अलावा, बिल गिग श्रमिकों के प्रतिनिधित्व और उनकी भलाई से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को भी प्राथमिकता देता है। गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में अपनी बात रखकर, वे उन नीतियों और पहलों को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे जो सीधे उनके जीवन को प्रभावित करती हैं।

सूरत डायमंड बोर्स

एक ही परियोजना में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय स्थल माना जाने वाला सूरत डायमंड एक्सचेंज, प्रधान मंत्री नरेंद्र के रूप में इतिहास बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है । उम्मीद है कि मोदी 21 नवंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। यह भव्य परियोजना न केवल भारत की उद्यमशीलता की भावना का प्रमाण है, बल्कि सूरत के हीरा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है।

वर्तमान में, सूरत का हीरा व्यापार बाजार महिधरपरा में स्थित है हीरा बाजार और वराछा हीरा बाज़ार, जहां व्यापारी न्यूनतम सुरक्षा उपायों के साथ सड़कों पर लेनदेन करते हैं। हालाँकि, सूरत डायमंड बोर्स के उद्घाटन के साथ , इस परिदृश्य में एक नाटकीय परिवर्तन आने की उम्मीद है।

यात्रा का समय कम करना और सुविधा बढ़ाना

सूरत डायमंड बोर्स का एक बड़ा फायदा यह है कि इससे स्थानीय अंगड़ियाओं के लिए यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा जो सूरत से मुंबई तक हीरे ले जाते हैं । वर्तमान में मुंबई की यात्रा में 4.5 घंटे से अधिक का समय लगता है, नया केंद्रीकृत स्थान परिचालन को सुव्यवस्थित करेगा और प्रक्रिया में तेजी लाएगा।

हीरा व्यवसाय के लिए एक केंद्र

सूरत डायमंड बोर्स में 4,200 से अधिक कार्यालय होंगे, जिनमें से प्रत्येक 300 से 7,5000 वर्ग फुट तक होगा, जो हीरे से संबंधित गतिविधियों और बुनियादी ढांचे की पेशकश करेगा । इसमें कच्चे और पॉलिश किए गए हीरे की बिक्री, हीरा निर्माण मशीनरी, हीरा योजना के लिए सॉफ्टवेयर, हीरा प्रमाणपत्र फर्म, प्रयोगशाला में विकसित हीरे और बहुत कुछ शामिल है। इसके अलावा, एक्सचेंज 27 हीरे के आभूषण खुदरा स्टोरों को समायोजित करेगा जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ग्राहकों को सेवा प्रदान करेंगे।

प्रारूप और निर्माण

दिल्ली स्थित एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्प फर्म मॉर्फोजेनेसिस द्वारा डिजाइन किया गया, सूरत डायमंड बोर्स एक वास्तुशिल्प चमत्कार के रूप में खड़ा है। निर्माण दिसंबर 2017 में शुरू हुआ और महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच भी, पांच साल के भीतर पूरा हुआ। इस महत्वाकांक्षी उद्यम की कुल परियोजना लागत 3,200 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

दूरदर्शी कोर कमेटी

सूरत डायमंड बोर्स की सफलता का श्रेय चेयरमैन के नेतृत्व वाली इसकी कोर कमेटी की दूरदर्शिता और नेतृत्व को दिया जाता है वल्लभभाई सूरत की सबसे बड़ी हीरा कंपनियों में से एक किरण जेम्स के मालिक लखानी । समिति में हीरा उद्योग के अन्य प्रमुख नाम शामिल हैं, जिन्होंने इस असाधारण परियोजना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एडमिरल लिसा फ्रैंचेटी

एक अभूतपूर्व कदम में, राष्ट्रपति जो बिडेन ने नौसेना के सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी के रूप में एडमिरल लिसा फ्रैंचेटी को चुना है, जो सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता और विविधता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। अगर पुष्टि हो जाती है, तो एडमिरल फ्रैंचेटी नौसेना में यह प्रतिष्ठित पद संभालने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचेंगी।

एडमिरल लिसा फ्रैंचेटी का नामांकन अमेरिकी नौसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी के रूप में, जिन्हें नौसेना संचालन प्रमुख के रूप में भी जाना जाता है, वह नौसेना की रणनीतिक दृष्टि और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

एडमिरल लिसा फ्रैंचेटी से मिलें

वर्तमान में नौसेना संचालन के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत, एडमिरल लिसा फ्रैंचेटी के पास परिचालन और नीति दोनों भूमिकाओं में व्यापक अनुभव के साथ एक सतह युद्ध अधिकारी के रूप में एक विशिष्ट कैरियर है। उनके प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड में यूएस सिक्स्थ फ्लीट और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 9 और 15 जैसे कमांडिंग पद शामिल हैं। उन्होंने विभिन्न परिचालन वातावरणों में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हुए यूएस नेवल फोर्सेज कोरिया के कमांडर के रूप में भी काम किया है।

शिक्षा और कैरियर पथ

1985 में, एडमिरल फ्रैंचेटी ने नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में नेवल रिजर्व ऑफिसर ट्रेनिंग कोर प्रोग्राम के माध्यम से अपना कमीशन प्राप्त करके अपने सैन्य करियर की शुरुआत की , जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और पत्रकारिता में विज्ञान स्नातक की डिग्री हासिल की। जैसे-जैसे वह अपने करियर में आगे बढ़ीं, उन्होंने नेवल वॉर कॉलेज में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया और फीनिक्स विश्वविद्यालय से संगठनात्मक प्रबंधन में मास्टर डिग्री प्राप्त की।

विविधता का मार्ग प्रशस्त करना

एडमिरल लिसा फ्रैंचेटी के नेतृत्व और समुद्र और तट पर व्यापक अनुभव ने इस प्रतिष्ठित पद के लिए उनके चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका नामांकन लिंग की परवाह किए बिना प्रतिभा को पहचानने और बढ़ावा देने, महिलाओं की भावी पीढ़ियों को सशस्त्र बलों में आत्मविश्वास के साथ करियर बनाने के लिए प्रेरित करने की नौसेना की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

ईएसजी थीम के तहत सेबी की छह नई म्यूचुअल फंड रणनीतियाँ

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) विषयगत श्रेणी का दायरा बढ़ा दिया है, जिससे परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों को छह नई रणनीतियों के तहत फंड पेश करने में सक्षम बनाया गया है।

ईएसजी का मतलब पर्यावरण, सामाजिक और शासन है। इन कारकों का उपयोग किसी कंपनी की स्थिरता और नैतिक प्रथाओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। पर्यावरणीय मानदंड किसी कंपनी के प्रकृति पर प्रभाव का आकलन करते हैं, जैसे कि उसके कार्बन पदचिह्न और संसाधन उपयोग। सामाजिक मानदंड कर्मचारियों, ग्राहकों और समुदायों के साथ कंपनी के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शासन मानदंड कंपनी के नेतृत्व, पारदर्शिता और जवाबदेही का मूल्यांकन करते हैं।

ईएसजी फंड के लिए विविध रणनीतियाँ

सेबी ने ईएसजी फंडों के लिए छह नई रणनीतियों की अनुमति दी, जिससे निवेशकों को अपने निवेश को उनकी स्थिरता प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान किए गए। इन रणनीतियों में से एक "श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ और सकारात्मक स्क्रीनिंग " है, जहां उन कंपनियों में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो ईएसजी मामलों में अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। यह दृष्टिकोण निवेशकों को उन व्यवसायों का समर्थन करने के लिए सशक्त बनाता है जो बेहतर ईएसजी प्रथाओं का प्रदर्शन करते हैं।

इक्विटी उपकरणों के लिए न्यूनतम आवंटन

ईएसजी योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, उसे सेबी द्वारा निर्धारित विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। ईएसजी योजनाओं में प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) का कम से कम 80% चयनित टिकाऊ रणनीति से जुड़े इक्विटी उपकरणों को आवंटित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि फंड के निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सीधे स्थायी पहल में योगदान देता है।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर)

बीआरएसआर, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का संक्षिप्त रूप है, कॉर्पोरेट पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनियों को बीआरएसआर के माध्यम से स्थिरता की दिशा में अपने प्रयासों का खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे निवेशकों को उनकी ईएसजी प्रथाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिलती है।

बीआरएसआर प्रकटीकरण वाली कंपनियों में ईएसजी योजना निवेश

सेबी को ईएसजी योजनाओं के लिए अपने एयूएम का कम से कम 65% उन कंपनियों में निवेश करने की आवश्यकता है जिनके पास व्यापक बीआरएसआर खुलासे हैं। यह शर्त कंपनियों को उनके स्थिरता प्रयासों पर सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि ईएसजी फंड पारदर्शिता और जिम्मेदार प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध व्यवसायों में निवेश करें।

प्रभाव निवेश निधि

इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट फंड एक विशिष्ट प्रकार का टिकाऊ निवेश है जो वित्तीय रिटर्न के साथ-साथ सकारात्मक सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है। ये फंड निवेशकों को अपने वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए सार्थक बदलाव में योगदान करने का अवसर प्रदान करते हैं।

वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023

वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023 संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा पेश किया गया यह प्रस्तावित कानून मौजूदा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में बदलाव लाना चाहता है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को समझना

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन और वन भूमि के आरक्षण को प्रतिबंधित करके वनों के संरक्षण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। यह आदेश दिया गया कि वन और वन भूमि के किसी भी आरक्षण को एक सलाहकार समिति की सलाह के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और गैर-वन गतिविधियों के लिए वन भूमि के रूपांतरण को रोकना था।

2006 का अधिनियम और वन में रहने वाले समुदायों के लिए छूट

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम), 2006, वन निवास समुदायों के लिए उपरोक्त वन मंजूरी नियमों में छूट प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार ने वन अधिकारों को मान्यता दी और उन्हें निहित किया, और अनुसूचित जनजातियों और अन्य वन निवास समुदायों के लिए वन मंजूरी में कुछ छूट दी गई। हालाँकि, इन अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक विस्तृत प्रक्रिया शामिल थी, जिसमें ग्राम सभाओं द्वारा पारित प्रस्ताव और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न समितियों द्वारा निगरानी की जाती थी।

वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 - प्रस्तावित परिवर्तन

2023 के संशोधन का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जरूरतों को पूरा करने की आड़ में वन मंजूरी में छूट देना है। इन छूटों में सरकार द्वारा बनाए गए रेलवे या सार्वजनिक सड़कों के किनारे स्थित वन भूमि, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, रक्षा -संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण और सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संशोधन वन भूमि को गैर-वन गतिविधियों जैसे वायरलेस संचार, बाड़ लगाने, पुल, पुलिया और विभिन्न अन्य सुविधाओं के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है।

निहितार्थ और चिंताएँ

प्रस्तावित संशोधनों ने कई चिंताएँ पैदा कर दी हैं। सबसे पहले, यह संशोधन 1980 के अधिनियम के मूल इरादे के विपरीत प्रतीत होता है, जिसे वन भूमि के आरक्षण और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था। दूसरे, 2023 संशोधन द्वारा दी गई छूट 2006 अधिनियम के तहत संरक्षित वन निवास समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन कर

सकती है, जो संभावित रूप से बाद के उद्देश्य को कमजोर कर सकती है। तीसरा, 2006 के अधिनियम के अनुसार, समाधान प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की सहमति या मंजूरी के बिना छूट प्रदान की जाती है।

"वन भूमि" की संकीर्ण व्याख्या

गोदावर्मन के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान की गई व्यापक परिभाषा के विपरीत है। थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ (एआईआर 1997 एससी 1228)। जबकि शीर्ष अदालत ने वन भूमि को सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए परिभाषित किया था, संशोधन ने इसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 या अन्य कानूनों के तहत वन के रूप में घोषित या अधिसूचित विशिष्ट भूमि और उसके बाद सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज भूमि तक सीमित कर दिया है। 25 अक्टूबर 1980.

स्पष्टता और विचारशीलता का अभाव

2023 का संशोधन अपने उद्देश्यों में स्पष्टता की कमी और गैर-वन उपयोगों के लिए वन भूमि को साफ़ करने के संभावित परिणामों के बारे में चिंता पैदा करता है। यह प्राकृतिक वन भूमि को साफ़ करने के बाद प्रतिपूरक वनीकरण और नए वन और वृक्ष आवरण के निर्माण को संबोधित करने में विफल रहता है। इसके अतिरिक्त, संशोधन में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इसका उद्देश्य वन-निर्भर समुदायों के लिए आजीविका कैसे प्रदान करना है या यह 2006 के अधिनियम के साथ कैसे संरेखित है, जो विशेष रूप से वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य वन समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था।

मूल्य स्थिरीकरण कोष

टमाटर की कीमतों में मौजूदा उछाल को संबोधित करने और उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के माध्यम से टमाटर की खरीद शुरू की है। ये टमाटर उपभोक्ताओं को काफी रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

पीएसएफ वित्तीय वर्ष 2014-15 में अस्तित्व में आया। इसका प्राथमिक उद्देश्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं और चयनित वस्तुओं में अत्यधिक मूल्य में उतार-चढ़ाव को अवशोषित करना और कम करना है। यह उपाय उपभोक्ताओं को अचानक मूल्य वृद्धि से बचाने में मदद करता है और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करके सहायता प्रदान करता है।

खरीदी प्रक्रिया

पीएसएफ योजना के तहत, माल की खरीद सीधे किसानों या किसान संगठनों से फार्म गेट या मंडियों (बाज़ारस्थानों) पर होती है। प्राथमिक उत्पादकों से सीधे माल खरीदकर, पीएसएफ मध्यस्थ लागत को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि लाभ किसानों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचे।

मूल्य स्थिरीकरण निधि प्रबंधन समिति (पीएसएफएमसी) की भूमिका

पीएसएफ का प्रबंधन मूल्य स्थिरीकरण निधि प्रबंधन समिति (पीएसएफएमसी) द्वारा केंद्रीय रूप से किया जाता है। यह समिति फंड के कार्यान्वयन की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वस्तुओं की खरीद और वितरण से संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों के प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन करता है।

ब्याज मुक्त ऋण

पीएसएफ योजना राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) और केंद्रीय एजेंसियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है। इन ऋणों का उद्देश्य वस्तुओं की खरीद और वितरण के दौरान उनकी कार्यशील पूंजी और अन्य खर्चों का वित्तपोषण करना है। यह वित्तीय सहायता उन्हें कीमतों को स्थिर करने और यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है कि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर आवश्यक सामान उपलब्ध हों।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में स्थानांतरण

1 अप्रैल 2016 को, पीएसएफ योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस कदम का उद्देश्य संचालन को सुव्यवस्थित करना और कमोडिटी की कीमतों को स्थिर करने में फंड की प्रभावशीलता को बढ़ाना है।

पीएसएफ के तहत टमाटर की खरीद

हाल ही में, सरकार ने कीमतों में मौजूदा वृद्धि का मुकाबला करने के लिए पीएसएफ योजना के तहत टमाटर की खरीद शुरू की। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर खरीदने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। फिर इन टमाटरों को दिल्ली-एनसीआर, बिहार, राजस्थान और अन्य क्षेत्रों के प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों में उपभोक्ताओं को अत्यधिक रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है ।

मारचंद कौन हैं ?

जापान में विश्व तैराकी चैंपियनशिप में एक रोमांचक घटनाक्रम में, 21 वर्षीय लियोन मारचंद ने 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले (आईएम) में प्रसिद्ध अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स के अंतिम व्यक्तिगत विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की।

माइकल फेल्प्स के शानदार करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध कोच बॉब बोमन के मार्गदर्शन में, लियोन मारचंद ने 400 मीटर आईएम में 4 मिनट और 2.50 सेकंड का शानदार समय हासिल किया और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन ने फेल्प्स के 4:03.84 के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जो 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद से अजेय रहा था।

फेल्प्स की विरासत और शासनकाल

ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के इतिहास में सबसे सम्मानित एथलीट माने जाने वाले माइकल फेल्प्स ने पांच ओलंपिक में कुल 28 पदक हासिल करके एक असाधारण उपलब्धि हासिल की। इन उपलब्धियों में से, प्रभावशाली 23 स्वर्ण पदक थे, जो अब तक हासिल किए गए ओलंपिक स्वर्णों की सबसे अधिक संख्या है। फेल्प्स ने कई स्पर्धाओं में विश्व रिकॉर्ड भी बनाए, जैसे 200 मीटर फ्रीस्टाइल, 100 मीटर और 200 मीटर बटरफ्लाई, और 200 मीटर और 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले (आईएम)।

मारचंद का पिछला नियर मिस

विशेष रूप से, पिछले वर्ष की विश्व चैंपियनशिप के दौरान, लियोन मारचंद फेल्प्स के रिकॉर्ड के काफी करीब आ गए थे और एक सेकंड के मात्र 44 सौवें हिस्से से चूक गए थे। इस लगभग चूक ने उनकी अपार क्षमता का प्रदर्शन किया और उनकी अंतिम रिकॉर्ड-ब्रेकिंग उपलब्धि के लिए आधार तैयार किया।

भविष्य की चुनौतियाँ और विकल्प

भविष्य में, मारचंद के पास 200 मीटर बटरफ्लाई में आगामी प्रतियोगिताएं हैं, जहां उन्होंने पिछले साल रजत पदक हासिल किया था, 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक (वर्तमान में इतिहास में चौथे सबसे तेज़ आदमी का खिताब), और 200 मीटर आईएम (वर्तमान विश्व चैंपियन)). हालाँकि, उन्हें शेड्यूलिंग संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है और 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक स्पर्धा से हटने का विकल्प चुन सकते हैं क्योंकि इसका सेमीफाइनल 200 मीटर आईएम फाइनल के साथ मेल खा रहा है।

फेल्प्स की स्थायी विरासत

हालाँकि फेल्प्स 2016 में सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उनकी विरासत रिले कार्यक्रमों में उनके योगदान के माध्यम से जीवित है। 4x100 मीटर फ़्रीस्टाइल और 4x200 मीटर फ़्रीस्टाइल में उनका विश्व रिकॉर्ड अटूट है, पहला सबसे लंबे समय तक चलने वाला विश्व रिकॉर्ड है और 2008 ओलंपिक का आखिरी शेष विश्व रिकॉर्ड है।

जेजेएम डिजिटल अकादमी

जेजेएम डिजिटल अकादमी एक अभूतपूर्व पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करके भारत में जल आपूर्ति क्षेत्र में क्रांति लाना है। यह अभिनव परियोजना 21 और 22 जुलाई को नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पेयजल और स्वच्छता विभाग और इको इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आदान-प्रदान के माध्यम से स्थापित की गई थी।

जेजेएम डिजिटल अकादमी का प्राथमिक फोकस जल आपूर्ति कार्यक्रमों में शामिल विभिन्न हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना है। अकादमी का लक्ष्य पूरे देश में जल आपूर्ति पहल की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए प्रशासकों, इंजीनियरों, पंचायत पदाधिकारियों, तकनीशियनों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और पैदल सैनिकों को आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना है।

प्रशिक्षण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी

जेजेएम डिजिटल अकादमी के मुख्य तत्वों में से एक हितधारकों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। अत्याधुनिक उपकरणों और प्लेटफार्मों का उपयोग करके, अकादमी यह सुनिश्चित करती है कि जल आपूर्ति पेशेवर क्षेत्र में नवीनतम प्रथाओं और नवाचारों से अपडेट रहें। यह प्रौद्योगिकी-संचालित दृष्टिकोण प्रतिभागियों को अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने और जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन में योगदान करने में सक्षम बनाता है।

ज्ञान भण्डार का निर्माण

अकादमी सिर्फ एक प्रशिक्षण मंच से कहीं अधिक कार्य करती है। यह जल आपूर्ति कार्यक्रमों से संबंधित ज्ञान और सूचना के भंडार के रूप में भी कार्य करता है। संचित संसाधन भविष्य के संदर्भ के लिए अमूल्य होंगे, जिससे शिक्षार्थियों को प्रासंगिक डेटा और सूचित निर्णय लेने और समस्या-समाधान के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुंचने की अनुमति मिलेगी।

ज्ञान सामग्री प्रदाता

जेजेएम डिजिटल अकादमी के लिए ज्ञान सामग्री प्रदान करने के लिए कई प्रतिष्ठित संगठनों और एजेंसियों ने हाथ मिलाया है। उल्लेखनीय योगदानकर्ताओं में संयुक्त राष्ट्र और द्विपक्षीय एजेंसियां, आरडब्ल्यूपीएफ भागीदार, ट्रस्ट, फाउंडेशन, संस्थान और नागरिक समाज संगठन शामिल हैं। उनकी भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि कार्यक्रम के माध्यम से वितरित सामग्री विविध, व्यापक और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है।

सहयोगात्मक सीखने के अवसर

प्रमुख संसाधन केंद्र (केआरसी) और कार्यान्वयन सहायता एजेंसियां (आईएसए) जेजेएम डिजिटल अकादमी की सफलता के अभिन्न अंग हैं। ये संस्थाएँ सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने, हितधारकों को प्रशिक्षण देने में सक्रिय रूप से शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय और राज्य सरकारें सत्र के दौरान अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके प्रतिभागियों के लिए सीखने के अनुभव को समृद्ध करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

एक लाइनर

- ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने ज्योति की बराबरी की भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में बसु का रिकॉर्ड।
- सरकार द्वारा संचालित टेली मानस हेल्पलाइन को दो लाख संकटकालीन कॉल प्राप्त हुई हैं।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक केंद्रीकृत विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया।
- भारतीय नौसेना ने आईएनएस किरपान को सेवामुक्त कर दिया और स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट वियतनाम को सौंप दिया।
- जलीय खरपतवार के आक्रमण से तमिलनाडु में हाथियों के आवासों को खतरा है।
- तमिलनाडु कैबिनेट ने ₹6,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी।
- श्रीलंका स्थानीय लेनदेन के लिए भारतीय रुपये के उपयोग की अनुमति देने की संभावना पर विचार कर रहा है।
- गो एयरलाइंस को लेनदारों से ₹240 बिलियन ($2.9 बिलियन) के दावे प्राप्त हुए हैं।

- इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (आईएसए) के सदस्य देशों का लक्ष्य 2025 तक गहरे समुद्र में खनन नियमों पर हस्ताक्षर करना है।
- उत्तर कोरिया ने चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच पीले सागर में 'कई क्रूज मिसाइलें' दागीं।
- एस्तेर वर्गीर और रिक ड्रेनी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फ़ेम में शामिल किया जाएगा।
- भारतीय कंपाउंड तीरंदाज सरिता और राकेश कुमार ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया।
- बैडमिंटन: आर सात्विकसाईराज और चिराग शेट्टी कोरिया ओपन के फाइनल में पहुंचे।